

दुमका समाहरणालय,

(जिला भू-अर्जन शाखा)

—अधिघोषणा—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-37/2016-17/...../जि.भू.अ.दिनांक-.....

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतिष्ठित होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना एशियन विकास बैंक सम्प्रापित दुमका-हसैडीहा पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु ग्राम-लगन, थाना-जामा, थाना संख्या-48, अंचल-जामा, जिला-दुमका के कुल-8.17 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 8.17 है जो ग्राम-लगन, थाना-जामा, थाना संख्या-48, अंचल-जामा, जिला-दुमका में है।

जिसका विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	खाला सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्थानित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितग्रह व्यक्ति का नाम, व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	31	385	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.63	शिवधन दुडू, मोहन दुडू, हिन्दू दुडू, पिता रघु दुडू वों जोहन दुडू, पिता दुखिया दुडू	385 अंश	383 अंश	385 अंश	रुडक
2		392		धानी दो	0.24		391 अंश	393 अंश	सडक	392 अंश
3		395		धानी दो	0.11		394 अंश	383 अंश	सडक	396 अंश
4		676		बाड़ी दो	0.26		629 अंश	675 अंश	676 अंश	678 अंश
5		677		बाड़ी दो	0.09		698 अंश	677 अंश		
6		404		धानी दो	0.25		676 अंश	678 अंश	675 अंश	677 अंश
7	23	386	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.20	भागीरथ मिर्धा पिता दुखेश्वर मिर्धा, आनन्द मिर्धा, सनत मिर्धा मनोज मिर्धा पिता दशरथ मिर्धा, मिट्टू मिर्धा पिता हरिकृ ण मिर्धा, रामकृ ण मिर्धा, पिता सुकदेव मिर्धा वों नेपाल मिर्धा पिता धूरी मिर्धा	386 अंश	387 अंश	387 अंश	नाला
8	11	387	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.20	कुम्हा देवी पति- जनार्दन सिकदर वों मिट्टू सिकदर पिता गुलाब चन्द सिकदार वों गोपाल राउत पिता जनक राउत वों रंभा देवी पिता जनक राउत	385 अंश	387 अंश	388 अंश	नाला
9		639	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.32		641 अंश	633, 634 अंश	641, 638 अंश	639 अंश
10		640	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.02		641 अंश	639 अंश	641 अंश	640 अंश
11	29	388	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.06	शंकर मण्डल वों मकु मण्डल पिता स्व० भागीरथ मण्डल वों युधिष्ठिर मण्डल पिता फुल कुमार मण्डल, परोखित मंडल, तपन मंडल, सपन मंडल वों मीरा देवी, देबु मंडल, रंजीत मंडल, सतोष मंडल पिता-दिलीप मंडल	385 अंश	388 अंश 389 अंश	387 अंश	389 अंश
12	33	389	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.09	मतला मुर्मू वों लाल मुर्मू पिता होपना मुर्मू वों वोका मुर्मू वों छोटो मुर्मू पिता ऐटू मुर्मू वों चुनू मुर्मू वों दुगां मुर्मू पिता वजल मुर्मू वों चरण मुर्मू वों भुण्डा मुर्मू वों ट्यला मुर्मू पिता लधु मुर्मू	385 अंश	389 अंश	390 अंश	388 अंश
13	6	393	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.05	1. लखाई मांझी वों सट्टु मांझी पिता कालीपद मांझी वों विकाश मांझी पिता सफाई मांझी 2. बबलू मांझी वों प्रभात मांझी पिता आदित्य मांझी 3. धनपत मांझी वों मनोज मांझी पिता किंर मांझी	385 अंश	392 अंश	391 अंश	385 अंश
14		394		धानी दो	0.04		385 अंश	396, 395 अंश	385 अंश	394 अंश
15		629		धानी दो	0.08		635 अंश	376 अंश	638 अंश	629 अंश
16		632		धानी दो	0.01		633 अंश	633 अंश	633 अंश	632 अंश
17		633		धानी दो	0.06		639 अंश	634 अंश	636 अंश	632 अंश
18		634		धानी दो	0.06		633 अंश	635	638 अंश	634 अंश
19		635		धानी दो	0.10		634 अंश	629 अंश	637 अंश	629 अंश
20		636		धानी दो	0.04		635 अंश	638 अंश	638 अंश	629 अंश
21		637		धानी दो	0.01		635 अंश	638 अंश	638 अंश	635 अंश
22	8	376	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.03	रान गोपाल सेन वों राज कुमार सेन गोविन्द सेन पिता खिरोद सेन वों तापस सेन पिता बारेन सेन वों रंजीत सेन वों कैलाश सेन वों गौर सेन वों कामेश्वर सेन पिता सुधानू सेन वों फटीक चन्द्र सेन वों बादल सेन वों विमल सेन पिता स्तयेन्द्र सेन वापी सेन वों विपिन सेन वों दिपांकर सेन पिता अमल सेन।	383 अंश	382 अंश	376 अंश	383 अंश
23		382		धानी दो	0.30	376 अंश	401 अंश	382 अंश	382 अंश	

24	21	389	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	1.20	राजेश कुमार साह व अरविन्द साह व शिन्देश्वर प्रसाद साह व मन्दिबल्लभ साह पिता शम्भूदेव साह व कल्याण कुमार साह व राम बहादुर साह व जगन्नाथ साह व रंजीत साह पिता राज किशोर साह	389 अंश	377	378 अंश	363 अंश
25		390	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.07	नरले सोरन	385 अंश	391 अंश	391 अंश	389 अंश
26	26	389	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.55	विष्णु सेन, गंगाधर सेन, पिता-अजून सेन, मधुसूदन सेन, उत्तम सेन, प्रदीप सेन पिता-नवगोपाल सेन, मनोज सेन पिता-किशन चन्द्र सेन, सदानन्द सेन, कर्ण सेन पिता-सहदेव सेन, सरत सेन, मेघनाथ सेन पिता-अधर सेन, रमेश सेन पिता-गोपाल सेन, फालगुनी सेन पिता-शजन्ता सेन	394, 385	399, 400	378 अंश	385
28	27	391	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.08	अशोक कुमार साह व अरविन्द कुमार साह पिता-रामशंकर साह	385 अंश	392 अंश	385 अंश	390 अंश
29		641	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.30	रंजीत कुमार साह पिता-लखी प्रसाद साह, युगल किशोर साह, राधा किसून साह पिता-रामजतन साह, पुरेन्द्र साह, महेन्द्र साह, सिकन्दर साह, नहेश साह, दिनेश साह पिता-सुखदेव साह	585, 642 अंश	638, 639, 640	641 अंश	641 अंश
30		638	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.08	जम्बू मुर्मू व किस्टू मुर्मू व पुतोलाल मुर्मू पिता सुनील मुर्मू 1/2 सवारी हांसदा पति शिबू मुर्मू 1/2	687 अंश	701 अंश	686 अंश	689 अंश
31		686	जमाबन्दी रैयत	बाड़ी दो	0.02	मखी हेम्बरम उर्फ गेदे हेम्बरम पिता लेडहा हेम्बरम पति चन्द्राय हेम्बरम	678 अंश	689	687 अंश	689
32	24	687	जमाबन्दी रैयत	बाड़ी दो	0.04	चुनु मुर्मू व दुर्गा मुर्मू पिता बजल मुर्मू व चरण मुर्मू व भुण्डा मुर्मू व दुयला मुर्मू पिता लधु मुर्मू	678 अंश	686 अंश	686 अंश	689 अंश
33		688	जमाबन्दी रैयत	मकान	0.03	चुनु मुर्मू व दुर्गा मुर्मू पिता बजल मुर्मू व चरण मुर्मू व भुण्डा मुर्मू व दुयला मुर्मू पिता लधु मुर्मू	678 अंश	689	687 अंश	689
34	17	689	जमाबन्दी रैयत	बाड़ी दो	0.77	सुजीत कुंवर व रंजीत कुंवर पिता स्व0 चन्द्रशेखर कुंवर व इन्द्रशेखर कुंवर व देवेन्द्र कुंवर व राघवेन्द्र कुंवर पिता हरि प्रसाद कुंवर साकिम नोनीहाट।	678 अंश	701	687 अंश	699 अंश
35		690	जमाबन्दी रैयत	मकान	0.09	सुजीत कुंवर व रंजीत कुंवर पिता स्व0 चन्द्रशेखर कुंवर व इन्द्रशेखर कुंवर व देवेन्द्र कुंवर व राघवेन्द्र कुंवर पिता हरि प्रसाद कुंवर साकिम नोनीहाट।	678 अंश	699 अंश	678 अंश	690 अंश
36	33	699	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.36	सुजीत कुंवर व रंजीत कुंवर पिता स्व0 चन्द्रशेखर कुंवर व इन्द्रशेखर कुंवर व देवेन्द्र कुंवर व राघवेन्द्र कुंवर पिता हरि प्रसाद कुंवर साकिम नोनीहाट।	690 अंश, 691	700 अंश	689 अंश	690 अंश
37		700	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.22	सुजीत कुंवर व रंजीत कुंवर पिता स्व0 चन्द्रशेखर कुंवर व इन्द्रशेखर कुंवर व देवेन्द्र कुंवर व राघवेन्द्र कुंवर पिता हरि प्रसाद कुंवर साकिम नोनीहाट।	699 अंश	701	689	699 अंश
38	14	702	जमाबन्दी रैयत	धानी दो	0.88	सुजीत कुंवर व रंजीत कुंवर पिता स्व0 चन्द्रशेखर कुंवर व इन्द्रशेखर कुंवर व देवेन्द्र कुंवर व राघवेन्द्र कुंवर पिता हरि प्रसाद कुंवर साकिम नोनीहाट।	701	स्वक, 703 अंश	702 अंश	स्वक

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है

ग्राम-.....X....., थाना-.....X....., थाना सं0-.....X....., अंचल-.....X....., जिला-.....X....., रकबा-.....X.....एकड़ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 470 / जि0 भू0 आ0, दुमका दिनांक- 26/8/17

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी दुमका/भूमि सुधार उप समाहर्ता दुमका/अंचल अधिकारी जामा/कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका, हित संबंधित व्यक्तियों पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। अंचलाधिकारी जामा इस अधिघोषणा की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थल पर अवश्य चिपकायेंगे।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापक- 4920 / जि० भू० आ०, दुमका दिनांक- 26/8/19

प्रतिलिपि:- प्रभासी पदाधिकारी जिला सजद शाखा दुमका को अगले अंक में प्रकाशित करते हुए पाँच-पाँच प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापक- 4920 / जि० भू० आ०, दुमका दिनांक- 26/8/19

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची, आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापक- 4920 / जि० भू० आ०, दुमका दिनांक- 26/8/19

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार राँची को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, दुमका को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।



दुमका समाहरणालय

जिला भू-अर्जन शाखा।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
नियमावली-2015 के तहत प्राप्त एस0आई0ए0 प्रतिवेदन।

1. परियोजना का नाम :- मोहनपुर-हसँडीहा नई बड़ी रेल लाईन निर्माण परियोजना।
2. एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :- श्री बैद्यनाथ फाउन्डेशन, देवघर।
3. परियोजना समन्वयक :- श्री रविन्द्र कुमार सिंह, व0 सलाहकार।
4. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार और एस0आई0ए0

द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :-

क्र0	ग्राम का नाम	थाना सं0	थाना	अंचल का नाम	अधियाचित रकवा (एकड़ में)
1	जालवे शीट नं0-1	54	सरैयाहाट	सरैयाहाट	10.72
2	माथाकेशो शीट नं0-2	29	सरैयाहाट	सरैयाहाट	10.00
3	भोजा शीट नं0-1	43	सरैयाहाट	सरैयाहाट	9.01
4	खिरधना शीट नं0-1	6	सरैयाहाट	सरैयाहाट	9.37
5	खिरधना शीट नं0-2	6	सरैयाहाट	सरैयाहाट	8.91
6	करहरिया शीट नं0-1	55	सरैयाहाट	सरैयाहाट	0.05
7	बैजा शीट नं0-1	18	सरैयाहाट	सरैयाहाट	9.77
8	पोखरिया शीट नं0-1	56	सरैयाहाट	सरैयाहाट	16.80
9	गारभेर शीट नं0-1	23	सरैयाहाट	सरैयाहाट	3.20
10	बाराटांड शीट नं0-1	11	सरैयाहाट	सरैयाहाट	8.24
11	खोजवा शीट नं0-1	39	सरैयाहाट	सरैयाहाट	7.95
12	अमजोरा शीट नं0-1	19	सरैयाहाट	सरैयाहाट	16.63
13	जमुआ शीट नं0-1	27	सरैयाहाट	सरैयाहाट	0.77
14	सरैयाहाट शीट नं0-1	1-3	सरैयाहाट	सरैयाहाट	12.44
15	उत्तरकेशा शीट नं0-1	39	सरैयाहाट	सरैयाहाट	4.89
16	पचुबाद शीट नं0-1	2	सरैयाहाट	सरैयाहाट	9.27
17	बेलवारा शीट नं0-1	19	सरैयाहाट	सरैयाहाट	11.16
18	बाँक शीट नं0-1	40	सरैयाहाट	सरैयाहाट	2.58
19	अशिखण्डहा शीट नं0-1	41	सरैयाहाट	सरैयाहाट	6.01
20	जमुआ शीट नं0-1	10	सरैयाहाट	सरैयाहाट	5.20
21	पतनुकी शीट नं0-1	26	सरैयाहाट	सरैयाहाट	6.61
22	तिलकपुर शीट नं0-1	16	सरैयाहाट	सरैयाहाट	6.89
23	मुरीयार शीट नं0-1	22	सरैयाहाट	सरैयाहाट	13.78
24	ककनी शीट नं0-1	21	सरैयाहाट	सरैयाहाट	13.27

25	भलुआ शीट नं0-1	18	सरैयाहाट	सरैयाहाट	0.14
26	बाबुपुर शीट नं0-1	6	सरैयाहाट	सरैयाहाट	3.38
27	कनौली शीट नं0-1	42	सरैयाहाट	सरैयाहाट	0.13
28	हरलाटांड शीट नं0-1	22	सरैयाहाट	सरैयाहाट	25.07
29	मुलघाघरशीट नं0-1	23	सरैयाहाट	सरैयाहाट	4.85
30	नवाडीह शीट नं0-1	2	सरैयाहाट	सरैयाहाट	16.15
31	सिलठा शीट नं0-1	4	रामगढ़	रामगढ़	7.85

एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावित परियोजना नई रेल लाईन निर्माण से संबंधित है। प्रस्तावित परियोजना के पूर्ण होने से सम्बंधित क्षेत्र के लोगों के जीवन-यापन, आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप में काफी सुधार होगा। जिसके लिए भूमि अर्जन उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।
2. प्रस्तावित परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् स्थानीय किसान, मजदूर को अपने कृषि उत्पाद को नजदीक के बाजार में पहुँचाने में काफी सुविधा होगी जिससे उनका आर्थिक उत्थान होगा।
3. प्रस्तावित परियोजना को स्थानीय लोगों द्वारा काफी सराहना की गई है। लोगों का मानना है कि यह परियोजना उस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
4. प्रभावित गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन, पेयजल सुविधा, बिजली तथा स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा प्रदान की जाय।
5. प्रस्तावित परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् परियोजना क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं रोजगार में काफी सुधार होगा।
6. परियोजना क्षेत्र में बहुत ज्यादा पेड़-पौधे नहीं होने के कारण पर्यावरण पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
7. प्रस्तावित परियोजना से एक भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहे है। जिससे परियोजना क्षेत्र में विस्थापन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
8. प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों द्वारा एक मात्र चिन्ता व्यक्त की गई है कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के पश्चात् कृषि योग्य भूमि में कमी आयेगी।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन दुमका जिला के वेबसाइट-
www.dumka.nic.in . एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय दुमका में देखा जा सकता है।

उपायुक्त
दुमका।

ज्ञापांक- 1022/ जि0मू0अ0, दुमका दिनांक- 25/12/2022

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, सरैयाहाट/रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन को परियोजना क्षेत्र के मुख्य स्थलों पर छिपकाकर प्रचारित किया जाय।

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग झारखण्ड, राँची को स्थानीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप मुख्य अभियंता(निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
दुमका।



दुमका समाहरणालय

जिला भू-अर्जन शाखा।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के तहत प्राप्त एस0आई0ए0 प्रतिवेदन।

1. परियोजना का नाम :- नवाडीह-हरिपुर पथ चौड़ीकरण परियोजना।
2. एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :- श्री बैद्यनाथ फाउन्डेशन, देवघर।
3. परियोजना समन्वयक :- श्री रविन्द्र कुमार सिंह, व0 सलाहकार।
4. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार और एस0आई0ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :-

क्र0	ग्राम का नाम	थाना सं0	थाना	अंचल का नाम	अधियाचित रकबा (एकड़ में)
1	लबदा	44	जरमुण्डी	जरमुण्डी	0.43
2	हरलाडंगाल	48	जरमुण्डी	जरमुण्डी	0.08
3	रामपुर	13	जामा	जामा	2.63
4	बलवा	14	जामा	जामा	1.54
5	जामाटांड	15	जामा	जामा	0.39
6	समालता	11	जामा	जामा	5.35
7	हरिपुर बाजार	46	जरमुण्डी	जरमुण्डी	0.16
8	तर्रा	12	जामा	जामा	0.21
9	मोहनपुर	45	जरमुण्डी	जरमुण्डी	3.18
10	कुशबेदिया	10	जामा	जामा	2.51
11	सिमराडंगाल	19	जामा	जामा	1.11
12	नौखिल	9	जामा	जामा	4.02
13	नवल	42	जरमुण्डी	जरमुण्डी	4.25
14	उदलखंड	3	जामा	जामा	2.04
15	भरमुण्डी	8	जामा	जामा	0.02
16	कुनमंडा	9	जामा	जामा	2.78
17	भैरवा	31	जरमुण्डी	जरमुण्डी	2.02
18	जामाडीह	39	जरमुण्डी	जरमुण्डी	2.76
19	अन्दा	40	जरमुण्डी	जरमुण्डी	1.67
20	आसनसोल	37	जरमुण्डी	जरमुण्डी	0.45
21	सुन्दरमोड	38	जरमुण्डी	जरमुण्डी	1.72
22	चिहुटिया	46	जरमुण्डी	जरमुण्डी	3.66
23	बरदडुब्बा	41	जरमुण्डी	जरमुण्डी	1.96
24	दलदली	47	जरमुण्डी	जरमुण्डी	0.68

एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावित परियोजना नवाडीह-हरिपुर पथ चौड़ीकरण परियोजना से संबंधित है। प्रस्तावित परियोजना के पूर्ण होने से सम्बंधित क्षेत्र के लोगों के जीवन-यापन में काफी सुधार होगा। जिसके लिए भूमि अर्जन, उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।
2. प्रस्तावित परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् स्थानीय लोगों के साथ साथ क्षेत्र के सभी लोगों को यातायात में काफी सुविधा होगी। साथ ही दुर्घटना की संभावना भी कम होगी।
3. प्रस्तावित परियोजना के पूर्ण होने से स्थानीय लोगों को शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यातायात सुगम हो जायेगा।
4. परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात् किसी भी प्रकार अर्थव्यवस्था का विघटन नहीं होगा।
5. परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने से प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ पर्यावरण पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. प्रभावित गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन, पेयजल सुविधा, बिजली तथा स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा प्रदान की जाने की आवश्यकता है।
7. सरकार द्वारा अधियाचित मौजा में महिलाओं एवं बच्चों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।
8. अधियाचित मौजा में विद्युत, सड़क तथा कचड़ा प्रबन्धन प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन दुमका जिला के बेबसाईट-
www.dumka.nic.in , एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, दुमका में देखा जा सकता है।

उपायुक्त
दुमका।

ज्ञापांक- 225/जि0मू0अ0, दुमका दिनांक- 22/1/18

प्रतिनिधि - अचल अधिकारी जग्गुई जग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित निदेश दिया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन को परियोजना क्षेत्र के मुख्य स्थलों पर विपणन प्रदर्शित किया जाय।

प्रतिनिधि - निदेशक सूचना एवं प्रसारण विभाग इन्द्रगढ़ नदी के स्थानीय व समानता पर = उद्देश्य हेतु प्रेषित

प्रतिनिधि - जर्जपालक अनिलना एवं निदेशक विभाग एवं प्रसारण दुमका को सूचनाएं प्रेषित।

उपायुक्त
दुमका।